FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अति. जिला कलेक्टर मुकाम टोंक

रामधन, कानसिंह बनाम तह० देवली

किस्म मुकदमा अपील नं. 9 174/2013 2015 सन् 58 27/8/13

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.07.2013	अपीलान्ट श्री रामधन, कानसिंह वगैरह ने जरिये अभिभाषक तहसीलदार देवली के आदेश दिनांक 30.05.2013 अन्तर्गत धारा 90क एल0आर0 एक्ट के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका अवलोकन किया गया। क्योकिं अवैध खनन एवं निर्गमन की प्रभावी रोकथाम हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 03.06.2013 को अति.जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है इस संदर्भ में तहसीलदार देवली द्वारा अपीलाधीन आदेश में कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु बजरी के ढेर लगाकर कार्य में लिये जाने के कारण एल0आर0 एक्ट 90क के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है इसलिए इन अपीलों की सुनवाई मेरे स्तर से किया जाना उचित नही रहेगा अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित की जाकर पत्रावली में संदर्भित पक्षकार दिनांक 13.08.2013 को न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष उपस्थित होवें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	
21/8/13	पत्रावली न्यायालय अति० जिला कलेक्टर टोंक से प्राप्त होने एवं मंत्रालयिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर होने के फलस्वरूप आज पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। P.O. साहब अन्य राज कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-8-13 को पेश हो। टोंक	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.2.17	पत्रावली पेश। राजकीय पैरोकार उप०। अपीलान्ट व उनके अभिभावक अनुपस्थित। अपीलांट व उनके अभि० को बार-बार, रुक-रुक कर आवाज लगाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील अपीलान्ट अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	

Scanned by CamScanner